

**राजस्थान सरकार**  
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग**

क्रमांक:पं04(1)चिस्वा/2/2021/एल-247

जयपुर, दिनांक: ०८/५/२१

**आदेश**

डॉ० ललित कुमार रैगर, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) (जन्म तिथि 09.01.1982) राजकीय चिकित्सालय, राजसमन्द का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 27.11.2020 को स्वर्गवास हो जाने के कारण डॉ० ललित कुमार रैगर का नाम राज्य सेवा से एतद् द्वारा पृथक किया जाता है।

डॉ० ललित कुमार रैगर के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जॉच विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,



(हरफूल पंकज)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज०, जयपुर।
- 2-संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, उदयपुर।
- 3-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द।
- 4-प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, राजसमन्द।
- 5-श्रीमती नीता बडारिया पत्नि स्व० डॉ० ललित कुमार रैगर, 102, ठक्कर बप्पा कॉलोनी, सुरजपोल के बाहर, उदयपुर-313001।
- 6-रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर प्रति।



शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/एल-247/2021/586

दिनांक 12/04/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर की पत्र क्रमांक प04(1) चिस्वा/2/2020/एल-247 जयपुर दिनांक 08.04.2021 के क्रम में।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयरर्स विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, उदयपुर को भेजकर लेख है कि डॉ० ललित कुमार रैगर (जन्मतिथी 09.1.1982) क०वि० (सर्जरी) राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच बकाया नहीं है।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन- उदयपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द को भेजकर लेख है कि डॉ० ललित कुमार रैगर (जन्मतिथी 09.1.1982) क०वि० (सर्जरी) के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच बकाया नहीं है।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ए०टी०सी०/डी०पी०सी०(राजपत्रित), अनुभाग मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रुम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को संबंधित अधिकारियों की मेल-आई डी पर अपलोड करावे।
8. श्रीमती नीता बडारिया पत्नी स्व० डॉ० ललित कुमार रैगर क०वि०(सर्जरी) हाउसिंग बोर्ड कोलोनी काकरोली राजसमन्द, राजस्थान को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के।
9. आदेश/निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक(जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।